राजस्व लोक अदालत –2015 कैम्प दूधवा

न्यायालय – सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी – श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 147 / 2014

प्रार्थीगण :–

1. थानाराम पुत्र गंगाराम जाट
2. नाथाराम पुत्र गंगाराम जाट
   निवासीयान दुदवा मल्लीनाथ तहसील पचपदरा

विप्रार्थीगण :–

1. .देवाराम पुत्र हरखाराम जाट निवारी दूदवा मल्लीनाथ
2. भैराराम पुत्र उम्मेदाराम जाट निवासी निम्बली
3. भीयाराम पुत्र उम्मेदाराम जाट निवासी निम्बली
4. चुतराराम पुत्र उम्मेदाराम जाट निवासी निम्बली
5. चुतराराम पुत्र सोनाराम जाट निवासी निम्बली
6. प्रहलादराम सोनाराम जाट निवासी निम्बली
7. मेहराज पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी दूदवा डेर
8. नाथराम पुत्र जेहाराम जाट निवासी दूदवा डेर
9. राणाराम पुत्र जेहाराम जाट निवासी दूदवा डेर
10. पुरो पत्नी जेहाराम जाट निवासी दूदवा डेर
11. आईदान पुत्र जेठाराम जाट निवासी दूदवा डेर
12. रामा पुत्र जेठाराम जाट निवासी दूदवा डेर
13. लूम्बा पुत्र जेठाराम जाट निवासी दूदवा डेर
14. नोजीदेवी बेवा जेठाराम जाट निवासी दूदवा डेर
15. चुनाराम पुत्र उदाराम जाट निवासी दूदवा डेर
16. दमाराम पुत्र मगनाराम कुम्हार निवासी दूदवा मल्लीनाथ
17. भैराराम पुत्र खेताराम कुम्हार निवासी दूदवा मलीनाथ
18. नाथूराम पुत्र खेताराम कुम्हार निवासी दूदवा मलीनाथ
19. दलाराम पुत्र खेताराम कुम्हार निवासी दूदवा मलीनाथ
20. कलाराम पुत्र खेताराम कुम्हार निवासी दूदवा मलीनाथ
21. मगाराम पुत्र खेताराम कुम्हार निवासी दूदवा मलीनाथ
22. गेनाराम पुत्र सुखाराम कुम्हार निवासी दूदरवा मलीनाथ
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा
24. ग्राम पंचायत दूदवा जरिये सरपंच

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128

आदेश **दिनांक :15.07.2015**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत –2015 कैम्प मे पेश हुई। दोनो पक्षकारान उपस्थित । प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम दूदवा के खेत खसरा नं0 154 रकबा 216.16 बीघा सरहद मौजा दूदवा मल्लीनाथ आई हुई है। जिससे प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड़्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा
कैम्प ....दूधवा.... 2015

Scanned by CamScanner

किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्राथीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनों पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प मे सुनाया गया ।

(उदय भान चारण)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर बालोतरा
केम्प बालोतरा 2015

Scanned by CamScanner